

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग  
क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/15522  
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 16/5/2017

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निर्णयारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 337 संपूर्ण धारा 121 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा 130 के अन्तर्गत कर निधारण या कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के संबंध में अपील की सुनवाई हेतु एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत करती है।

राज्यपाल की आङ्गा से,

  
(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/15523-15908 जयपुर, दिनांक 16/5/2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज 0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी